न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
281 / 19	09 / 09 / 2019	01.02.2021

उनवान

1. सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी सैक्टर नं0 46 ग्राम झाड़सा तहसील व जिला गुरूग्राम (हरि0)।

–: वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादी

दावा:– अर्न्तगत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 01.02.2021

उपस्थिति :–

1– श्री जगन्नाथ यादव, वकील वादिया

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादिया के वाद सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1005 / 0.53 है0, 1006 / 0.61 है0, 1217 / 0.38 है0, 812 / 0.66 है0, 244 / 0.22 है0, 1065 / 0.21 है0, 1074 / 0.16 है0, 1214 / 0.23 है0, 1007 / 0.94 है0, 1063 / 0.23 है0, 1072 / 0.41 है0, 1073 / 0.18 है0 वाके ग्राम मानका व ख0नं0 778 / 0.97 है0, 774 / 0.57 है0, 1652 / 771 / 0.42 है0, 773 / 0.54 है0, 1653 / 771 / 0.44 है0, वाके ग्राम बिचला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो इस वाद में खाते में वादिया का नाम सरिया देवी दर्ज कराया है, वह गलत कराया है, जो इस वाद में विवादित है। मिन वादिया के नाम के आगे बैयनामा करा[illegible] देवी [illegible] दिया जबकि मिन वादिया के सभी दस्तावेजों में जैसे भामाशाह कार्ड, [illegible]डी, बैंक पासबुक आदि सभी में सरिता नाम दर्ज है। परन्तु बैयनामा लिखित [illegible] सरिता देवी दर्ज कर दिया तथा बैयनामे आधार पर इन्तकाल के जरिये [illegible] राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में भी सरिता देवी गलत दर्ज हो गया। जबकि वादिया का नाम सही रूप में सरिता है। उक्त इन्द्राजात की जानकारी मिन वादि[illegible] को दिनांक 24 / 08 / 19 को हुई, इसलिए दावा अन्दर अवधि पेश है। उक्त गलत इन्द्राज को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

दुरूस्त कराने बाबत प्रतिवादी से दिनांक 26/08/19 को कहा तो प्रतिवादी इंकार हो गया इसलिए यह दावा दुरूस्ती बिनादावी व बिनाय मुखास्मत पैदा हुई। उक्त वाद में प्रतिवादी को दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस का समय नहीं रहा और बिना नोटिस ही दावा पेश है। प्रार्थना पत्र 80(2) जाप्ता दिवानी संलग्न वाद है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी ख0नं0 1005/0.53 है0, 1006/0.61 है0, 1217/0.38 है0, 812/0.66 है0, 244/0.22 है0, 1065/0.21 है0, 1074/0.16 है0, 1214/0.23 है0, 1007/0.94 है0, 1063/0.23 है0, 1072/0.41 है0, 1073/0.18 है0 वाके ग्राम मानका व ख0नं0 778/0.97 है0, 774/0.57 है0, 1652/771/0.42 है0, 773/0.54 है0, 1653/771/0.44 है0, वाके ग्राम बिचला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकोर्ड में नाम सरिता देवी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर सरिता नाम का इन्द्राज किये जाने के बाबत का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2069–72, जमाबन्दी सम्वत 2069–72, जमाबन्दी सम्वत 2069–72, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, व अन्य दस्तावेज पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये राजस्व रिकोर्ड में नाम सरिता देवी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर सरिता नाम का इन्द्राज किये जाने के बाबत करने का निवेदन किया है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर तथा प्रतिवादी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वादिया के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति वादिया के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादिया बहक वादिया बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 1005/0.53 है0, 1006/0.61 है0, 1217/0.38 है0, 812/0.66 है0, 244/0.22 है0, 1065/0.21 है0, 1074/0.16 है0, 1214/0.23 है0, 1007/0.94 है0, 1063/0.23 है0, 1072/0.41 है0, 1073/0.18 है0 वाके ग्राम मानका व ख0नं0 778/0.97 है0, 774/0.57 है0, 1652/771/0.42 है0, 773/0.54 है0, 1653/771/0.44 है0, वाके ग्राम बिचला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के राजस्व रिकोर्ड में नाम सरिता देवी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर सरिता नाम का इन्द्राज किये जाने के बाबत तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि वादिया से नियमानुसार फीस राजकोष में जमा करवाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

जाने के पश्चात इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01.02.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

11/2/21 आज प्रार्थना पत्र धारा 152 जा० दी० पेश होकर बाद विधिवत सुनवाई स्वीकार होने पर उक्त निर्णय दिनांक 01.2.21 में " कि वादिया से नियमानुसार फीस राजकोष में जमा करवाये जाने के पश्चात " के बाबत के पैरा को शून्य पढा जावे एवं शेष निर्णय पूर्ववत यथावत रहेगा।

11.2.21

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested